राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 41/2021

जयपुर विकास प्राधिकरण, अपने सचिव, इंद्रा सर्कल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर के माध्यम से।

-----अपीलार्थी

बनाम

1. घासीराम पुत्र चूना

2. रामू पुत्र मुन्ना

3. काना पुत्र मुन्ना

4. भगवाना पुत्र मुन्ना

5. प्रभात की मूली विधवा

सभी निवासी ग्राम बोयतावाला, तहसील जयपुर, जिला जयपुर, राजस्थान।

----प्रत्यर्थीगण

अपीलार्थी (गण) की ओर से : श्री अनिल मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता-सह-एएजी,
श्री यशोधर पांडे, अधिवक्ता, श्री मेहुल हरकावत, अधिवक्ता,
के साथ।
सुश्री अर्चना, अधिवक्ता,
श्री अभिषेक पालीवाल, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से : श्री राकेश कुमार, अधिवक्ता

माननीय श्रीमान न्यायमूर्ति पंकज भंडारी

माननीय श्रीमान न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढांड

<u>निर्णय</u>

<u>निर्णय सुरक्षित करने की तारीख</u> : **<u>6 मई 2022</u>**

<u>निर्णय उच्चारित करने की तारीख</u> : **<u>20 मई 2022</u>**

<u>रिपोर्टेबल</u>

अनूप कुमार ढांड, न्यायमूर्ति

1. "समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए और असमानों के साथ असमान व्यवहार किया जाना चाहिए।"

-अरस्तू

2. न्याय का सबसे बुनियादी सिद्धांत जिसे दो हजार वर्ष से भी पहले अरस्तू द्वारा परिभाषित किया गया था, उसके बाद से इसे व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। यह सिद्धांत कहता है कि "व्यक्तिउनके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, जब तक कि वे उस स्थिति के लिए प्रासंगिक तरीकों में भिन्न न हों जिसमें वे शामिल हैं।

3. न्याय का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि समान लोगों के साथ असमान व्यवहार नहीं किया जा सकता और असमानों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जा सकता। समान लोगों को असमान मानने से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत निहित समानता के सिद्धांत का उल्लंघन होगा और यही इस अपील में शामिल मुख्य मुद्दा है।

4. यह अंतर-न्यायालय अपील विद्वान एकलपीठ द्वारा पारित दिनांक 28.09.2020 के निर्णय के खिलाफ निर्देशित है, जिसके द्वारा अपीलार्थी-जयपुर विकास प्राधिकरण (संक्षेप में 'जेडीए') द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका दिनांक 17.01.2018 को पारित निर्णय की वैधता पर प्रश्न उठाया हैजिसमे अपीलीय न्यायाधिकरण, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा अपास्त कर दिया गया है।

5. मामले के संक्षेप में तथ्य यह है कि प्रत्यर्थीगण और अन्य लोगों की ग्राम निवारू मनसा रामपुरा, बोयतावाला और बेनाड में स्थित भूमि को राज्य द्वारा राजस्थान भूमि अधिग्रहण अधिनियम , 1953 (संक्षेप में '1953 का अधिनियम') के तहत सेना के

'फील्ड फायरिंग रेंज' के लिए अधिग्रहित किया गया था। और धारा 4 के तहत एक अधिसूचना 8.5.1981 को जारी की गई थी। उपरोक्त राजस्व ग्रामों में 1368 बीघे 13 बिस्वा कृषि भूमि का अधिग्रहण किया गया था। आपत्तियों को सुनने के बाद, भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने 26.03.1983 को प्रत्यर्थीगण के साथ-साथ अन्य खातेदारों की भूमि से संबंधित एक पंचाट पारित किया। भूमि का कब्ज़ा ले लिया गया और मौद्रिक मुआवजे के बदले सेना को सौंप दिया गया। 13.12.2001 को, राजस्थान सरकार ने एक परिपत्र जारी किया जिसके द्वारा राज्य ने उन व्यक्तियों को 15% विकसित भूमि की पेशकश की जिनकी भूमि अधिग्रहित की गई है। विद्याधर में 15% विकसित भूखंड प्राप्त करने हेतु नागर, छोटू राम और प्रत्यर्थीगण ने 26.01.2002 को एक आवेदन प्रस्तुत किया।

6. विद्याधर नगर में 15% विकसित भूखंडों के आवंटन के लिए छोटू राम और अपीलार्थीगण के आवेदन पर विचार किए बिना, जेडीए ने ग्रुप हाउसिंग उद्देश्य के लिए विद्याधर नगर योजना में कुछ भूमि की नीलामी के लिए 17.05.2003 को एक नोटिस जारी किया। जेडीए की उक्त कार्रवाई को छोटू राम ने जेडीए न्यायाधिकरण में चुनौती दी थी, ताकि जेडीए को इन जमीनों की नीलामी करने से रोका जा सके। जेडीए न्यायाधिकरण ने 18.10.2005 को अपील की अनुमति दी और नीलामी नोटिस को अपास्त कर दिया और विद्याधर नगर में 15% विकसित भूमि के आवंटन के आदेश पारित किए। जेडीए न्यायाधिकरण के निर्णय के खिलाफ जेडीए ने एकलपीठ मे सिविल रिट याचिका संख्या 539/2009 दायर कीलेकिन उसे 11.01.2010 को अपास्त कर दिया गया। जिसके विरुद्ध जेडीए ने खंडपीठ विशेष अपील (रिट) संख्या 276/2010 दायर की। और उसे 12.8.2011 को अनुमति दी गई और खंडपीठ ने जेडीए न्यायाधिकरण और सिंगल बेंच द्वारा पारित निर्णय को अपास्त कर दिया।

7. खंडपीठ के दिनांक 12.8.2011 के निर्णय को लाला राम, छोटू राम और अन्य ने सिविल अपील संख्या 13940-13944/2015 दायर करके भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी और इन सभी अपीलों को अदालत ने अनुमति दी और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पैरा संख्या 153, 154, 155 में निम्नानुसार निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए:-

"153.मामले के समग्र दृष्टिकोण में, हमारी पुष्ट राय है कि मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में और पूर्ण न्याय के लिए, अपीलार्थी शर्तों में 15% विकसित भूमि का अपना कोटा आवंटित करने के पात्र हैं। एक या अधिक में पॉलिसी/परिपत्र दिनांक 13.12.2001 का विद्याधर नगर, गोकुल नगर, ट्रक टर्मिनल और वैशाली नगर में उपलब्ध भूखंड, जैसाकि उनके द्वारा दिनांक 17.8.2015 के शपथ पत्र में बताया गया है। इसके द्वारा प्रत्यर्थीगण को तदनुसार समायोजित करने का निर्देश दिया जाता है।

154. उपरोक्त के आलोक में, अपीलें स्वीकार की जाती हैं। आक्षेपित निर्णय एवं आदेश को अपास्त किया जाता है। प्रत्यर्थी दिनांक 13.12.2001 के नीतिगत निर्णय के अनुसार अपीलार्थीगण को यहां ऊपर बताए गए स्थानों पर बिना किसी असफलता के और यहां से छह सप्ताह की अवधि के भीतर विकसित भूमि आवंटित करेंगे। लंबित मामले का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्यर्थीगण को यह सुनिश्चित करना होगा कि आदेश के अनुसार आवंटन के मामले में किसी भी असमानता को दूर करने के लिए एक पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया, यदि आवश्यक हो, उचित प्राधिकारी द्वारा निगरानी की जाए।

155. हम इस विश्वास और अपेक्षा करते हैं कि प्रत्यर्थी कानून द्वारा सौंपे गए अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहेंगे और ऐसी कोई और कार्रवाई नहीं करेंगे जिसके लिए इस न्यायालय को कठोर पहल के साथ हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़े। कोई लागत नहीं।"

8. माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्देश के आलोक में जेडीए द्वारा उक्त छोटू राम को उसके हिस्से 12555.14 वर्ग मीटर के अनुपात में 15 प्रतिशत विकसित भूमि आवंटित की गयी। उच्चतम न्यायलय के दिनांक 01.12.2015 के इस निर्णय के आधार पर, प्रत्यर्थी घासी राम, रामू, काना, भगवाना और मूली देवी ने दिनांक 13.12.2001 की नीति के आलोक में 15% विकसित भूमि के आवंटन के लिए जेडीए के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया, लेकिन जेडीए ने दिनांक 21.03.2017 के आदेश द्वारा

प्रत्यर्थीगण को समान आवंटित करने से इनकार कर दिया गया कि उन्होंने छोटू राम और अन्य द्वारा की गई विभिन्न कार्यवाही अर्थात अपील और सिविल अपील में जेडीए के आदेश को चुनौती नहीं दी है और प्रत्यर्थी पिछली कार्यवाही अर्थात अपील, रिट याचिका, विशेष में पक्षकार नहीं थे।इसलिए, वे विद्याधर नगर आदि में 15% विकसित भूमि पाने के पात्र नहीं हैं।

9. दिनांक 21.03.2017 के उपरोक्त आदेश को प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलीय न्यायाधिकरण, जेडीए के समक्ष चुनौती दी गई थी और इसे अपास्त करने और विद्याधर नगर, गोकुल नगर, टर्मिनल नगर या वैशाली नगर में किसी भी योजना में 15% विकसित भूमि के आवंटन के लिए निर्देश जारी करने की प्रार्थना की गई थी।

10. जेडीए ने उत्तर प्रस्तुत कर प्रत्यर्थीगण की प्रार्थना का विरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद, अपीलीय न्यायाधिकरण, जेडीए ने दिनांक 17.01.2018 के आदेश के तहत प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर लिया और माना कि प्रत्यर्थी नीति/परिपत्र दिनांक 13.12.2001 के अनुसार किसी भी तरह से 15% विकसित भूमि आवंटित करने के पात्र हैं। जेडीए की योजनाएं जहां विद्याधर नगर, गोकुल नगर, ट्रक टर्मिनल नगर या वैशाली नगर में भूखंड उपलब्ध हैं।

11. अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.1.2018 से व्यथित होकर जेडीए ने एकलपीठ एकलपीठ के समक्ष सिविल रिट याचिका संख्या 9144/2018, जिन्होंने दिनांक 28.09.2020 के निर्णय/आदेश के माध्यम से इसे अपास्त कर दिया और अपीलीय न्यायाधिकरण जेडीए को माननीय उच्चतम न्यायालय के लाला राम एवं अन्य बनाम जयपुर विकास प्राधिकरण एवं अन्य. (सुप्रा.) के मामले में पारित निर्णय के संदर्भ में प्रत्यर्थीगण को उपरोक्त पांच योजनाओं में से किसी में 15% विकसित भूमि आवंटित करने का निर्देश दिया।

12. विद्वान एकलपीठ द्वारा पारित दिनांक 28.9.2020 के आक्षेपित निर्णय से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जेडीए ने यह इंट्रा-कोर्ट अपील प्रस्तुत की है।

13. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थीगण को आबंटन की तारीख से 12 वर्षों के बाद विशिष्ट स्थानों पर 15% विकसित भूमि जेडीए द्वारा उन्हें ग्राम

लाल चंदपुरा एवं अनंतपुरा में प्राप्त करने के लिए अपने दावे उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती से । इस तरह का दावा अत्यधिक विलंबित और समयबाधित है और खामियों से ग्रस्त है।

14. विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि लाला राम (सुप्रा.) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 1.12.2015 को पारित निर्णय उन सिविल अपील संख्या 13940-44/2015 में अपीलार्थीगण तक सीमित था। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि मुन्ना, चूना और हुकमा के बीच पारिवारिक समझौता हुआ था और इस समझौते के अनुसार उन सभी के पास जमीन में 1/3, 1/3 हिस्सा था और जिसमें से जमीन का कुछ हिस्सा रणवीर सिंह पुत्र चंदा राम को बेच दिया गया था। इसलिए, प्रत्यर्थीगण को बेची गई भूमि पर कोई दावा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अंत में, अधिवक्ता ने तर्क दिया कि लाला राम (सुप्रा.) के मामले में माननीय सुप्रीम द्वारा जारी किए गए निर्देश प्रत्यर्थीगण पर लागू नहीं होते हैं।

15. इसके विपरीत, प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलार्थी द्वारा उठाए गए तर्कों का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि पारिवारिक समझौते के अनुसार, छोटू राम को जेडीए द्वारा अधिग्रहित भूमि के संबंध में पूरे परिवार का मामला उठाने और विकसित भूमि प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया गया था। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि परिपत्र दिनांक 13.12.2001 के अनुसरण में, प्रत्यर्थीगण ने 15.1.2002 को उक्त छोटू राम के साथ अपने विकल्प प्रस्तुत किए और माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद उक्त छोटू राम को 15% विकसित भूमि आवंटित की गई है। अदालत।

16. अधिवक्ता ने आगे कहा कि लाल चंदपुरा और अनंतपुरा में प्रस्तावित भूमि पूरी तरह से विकसित भूमि नहीं है और इस तथ्य को माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 01.12.2015 के निर्णय के पैरा संख्या 120 में भी देखा है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि प्रत्यर्थीगण को मुआवजे की कोई राशि नहीं मिली है इसलिए वे अपनी अर्जित भूमि के बदले जेडीए की उपरोक्त 5 विकसित योजनाओं में से किसी में 15% विकसित भूमि पाने के भी पात्र हैं। 24. विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थीगण की ओर से 15% विकसित भूमि का दावा प्राप्त करने में कोई देरी नहीं हुई क्योंकि उन्होंने उक्त छोटू राम को पारिवारिक समझौते के माध्यम से अपना दवा

करनेके लिए अधिकृत किया था और छोटू राम ने जेडीए न्यायाधिकरण के समक्ष अपना मुद्दा उठाया था और जेडीए न्यायाधिकरण ने मामले का निर्णय उनके पक्ष में किया। इसके बाद, जेडीए ने रिट याचिका दायर करके जेडीए न्यायाधिकरण के उक्त आदेश को इस न्यायालय की एकलपीठ के समक्ष चुनौती दी और उसे अपास्त कर दिया गया। इसके बाद, जेडीए ने विशेष अपील प्रस्तुत की जिसे अनुमति दी गई जिसके खिलाफ छोटू राम, लाला राम और अन्य ने सिविल अपील संख्या 13940-44/2015 प्रस्तुत की और 1.12.2015 को इसकी अनुमति दी गई और जेडीए को उसमें दिनांक 13.12.2001 के नीतिगत निर्णय के अनुसार अपीलार्थीगण को विकसित भूमि आवंटित करने का निर्देश दिया गया। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि लाला राम (सुप्रा.) के उपरोक्त मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार, प्रत्यर्थी भी अर्जित भूमि में अपने संबंधित हिस्से का 15% विकसित भूमि पाने के पात्र थे। और जेडीए प्रत्यर्थीगण को समान आवंटित करने के लिए बाध्य था, लेकिन जब कोई आवंटन नहीं किया गया, तो कार्रवाई का नया कारण सामने आया और प्रत्यर्थीगण ने अपीलीय न्यायाधिकरण, जेडीए से संपर्क किया, जिसने सही तरीके से उनकी अपील की अनुमति दी और आदेश में कोई अवैधता नहीं थी। **17.01.2018 को एकलपीठ ने जेडीए द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका को अपास्त कर दिया है। अपने तर्कों के समर्थन में, अधिवक्ता ने विधिक प्रतिनिधियों बनाम बलजीत सिंह (मृत) उत्तर प्रदेश राज्य, 2019 में रिपोर्ट (15) एससीसी 33 मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पैरा 7 पर भरोसा किया।**

17. अंत में, अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि जेडीए द्वारा इस आरोप को सिद्ध करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई दस्तावेजी साक्ष्य या पंजीकृत बिक्री विलेख की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है कि जमीन का कुछ हिस्सा रामधन नाम के व्यक्ति को बेचा गया था।

18. पक्षों के अधिवक्ताओं को सुना और रिकार्ड का अवलोकन किया।

19. रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चलता है कि 1366.13 बिस्वा भूमि राजस्थान सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई थी और परिपत्र दिनांक 13.12.2001 के आलोक में जिन व्यक्तियों की भूमि अधिग्रहित की गई थी, उन्हें जेडीए की विभिन्न योजनाओं में 15% विकसित भूमि की पेशकश की गई थी। और प्रत्यर्थी छोटू राम, लाला राम आदि के

साथ अर्जित भूमि में सह-खातेदार थे और ये सभी खसरा संख्या 2, 8, 10, 12 आदि में 37 बीघे और 16 बिस्वा भूमि में अपना संयुक्त हिस्साथा। और उन सभी ने विद्याधर नगर में 15% विकसित भूमि प्राप्त करने के लिए 15.01.2002 को उपायुक्त, जेडीए, जयपुर के समक्ष संयुक्त आवेदन प्रस्तुत किया। यह आवेदन अनिर्णीत रहा। फिर 25.10.2002 को इन सह-खातेदारों अर्थात प्रत्यर्थीगण के बीच एक पारिवारिक समझौता हुआ और उन्होंने छोटू राम को जेडीए और न्यायालयों के समक्ष सभी की ओर से मुकदमा चलाने के लिए अधिकृत किया। तब छोटू राम ने अधिकारियों के समक्ष 15% विकसित भूमि प्राप्त करने की कार्यवाही शुरू की। विद्याधर नगर, जयपुर में 15% विकसित भूमि आवंटित करने के बजाय, जेडीए ने ग्रुप हाउसिंग उद्देश्य के लिए विद्याधर नगर योजना की कुछ विकसित भूमि की नीलामी करने के लिए 17.05.2003 को एक नोटिस जारी किया। जेडीए की इस कार्रवाई को छोटू राम ने जेडीए न्यायाधिकरण में चुनौती दी थी। जेडीए न्यायाधिकरण ने दिनांक 18.8.2003 और 18.10.2005 के आदेशों के तहत नीलामी नोटिस को अपास्त कर दिया और जेडीए को विद्याधर नगर में जेडीए की विकसित योजना में उसे जमीन आवंटित करने का निर्देश दिया। जेडीए ने एकलपीठ दायर करके उच्च न्यायालय के समक्ष इस आदेश का विरोध किया। सिविल रिट याचिका संख्या 539/2009 उक्त याचिका थी लेकिन 11.01.2010 को बर्खास्त कर दिया गया। एकलपीठ के उक्त निर्णय को जेडीए ने खंडपीठ प्रस्तुत कर चुनौती दी थी। विशेष अपील (रिट) संख्या 276/2010 और 12.08.2011 को खंडपीठ ने न केवल एकलपीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.01.2010 को अपास्त कर दिया, बल्कि जेडीए न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश को भी अपास्त कर दिया। इसके बाद, छोटू राम, लाला राम और अन्य ने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष सिविल अपील संख्या 13940-13944/2015 प्रस्तुत की और इन सभी अपीलों को 01.12.2015 को अनुमति दी गई और माननीय उच्चतम न्यायालय ने माना कि वे इसके पात्र हैं। विद्याधर नगर, गोकुल नगर, ट्रक टर्मिनल नगर और वैशाली नगर में उपलब्ध भूमि/भूखंडों पर नीति/परिपत्र दिनांक 13.12.2001 के अनुसार 15% विकसित भूमि का अपना कोटा आवंटित किया। यह भी देखा गया कि जेडीए अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि आवंटन के मामले में

उपचार में किसी भी असमानता को दूर करने के लिए एक उचित प्राधिकारी द्वारा निगरानी के लिए एक परिवहन और निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाई जाए, यदि आवश्यक हो तो माननीय पैरा संख्या 155 के समापन में। उच्चतम न्यायलय ने कहा कि " हमें यह विश्वास और आशा हैं कि प्रत्यर्थी (अर्थात जेडीए) कानून द्वारा दिए गए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और ऐसी कोई और कार्रवाई नहीं करेंगे जिसके लिए इस न्यायालय को कड़ी पहल के साथ हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़े।"

20. सिविल अपील संख्या 13940-13944/2015 में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि नीति/परिपत्र दिनांक 13.12.2001 की पुष्टि की गई थी। फिर भी जेडीए ने 'दो-बराबर' अर्थात छोटू राम और अन्य और वर्तमान प्रत्यर्थीगण के बीच भेदभाव किया। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में उक्त छोटू राम और अन्य को 15% विकसित भूमि आवंटित की गई थी लेकिन प्रत्यर्थीगण को वंचित कर दिया गया था। जेडीए की ऐसी कार्रवाई काफी मनमानी है और न्याय के सिद्धांतों के ख़िलाफ़ है कि "दो बराबर नहीं हो सकते।"असमान्य व्यवहार किया गया"। जेडीए की ऐसी विवादित कार्रवाई भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत निहित प्रत्यर्थीगण के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। जेडीए को उन प्रत्यर्थीगण के साथ भेदभाव करने का कोई अधिकार नहीं है जिन्होंने जेडीए के साथ अपने विकल्प प्रस्तुत किए हैं और जेडीए द्वारा निर्धारित समय सीमा अर्थात 15.1.2002 के भीतर 15% विकसित भूमि का विकल्प चुना है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद जेडीए के पास प्रत्यर्थीगण के साथ भेदभाव करने का कोई अवसर उपलब्ध नहीं था। लेकिन फिर भी जेडीए ने घासी राम (सुप्रा.) के निर्णय के अंतिम पैरा में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करते हुए प्रत्यर्थीगण के साथ भेदभाव किया है। जेडीए ने पैरा 155 में दिए गए माननीय उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित निर्देशों का उल्लंघन किया है जो इस प्रकार है:-

> ***"155. हमें विश्वास और आशा है कि प्रत्यर्थी कानून द्वारा सौंपे गए अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहेंगे और ऐसी कोई और कार्रवाई नहीं करेंगे जिसके लिए इस न्यायालय को कड़ी पहल के साथ हस्तक्षेप की***

आवश्यकता पड़े। कोई लागत नहीं।"

21. उपरोक्त टिप्पणी के बाद, माननीय उच्चतम न्यायालय ने जेडीए पर प्रत्यर्थीगण को अपनी ओर से 15% विकसित भूमि आवंटित करने का कर्तव्य तय किया, लेकिन फिर से जेडीए ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हुए मनमाने तरीके से काम किया। और दिनांक 13.12.2001 की नीति/परिपत्र के अनुसरण में प्रत्यर्थीगण को 15% विकसित भूमि का उनका उचित दावा प्राप्त करने से वंचित कर दिया।

22. कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की अवधारणा भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में व्यक्त मौलिक अधिकार से उभरती है। समानता निश्चित अवधारणाहै। समानता की अवधारणा में संवैधानिक गारंटी की प्रकृति से उत्पन्न एक अंतर्निहित सीमा है। जो लोग समान परिस्थिति वाले हैं वे समान व्यवहार के पात्र हैं। समानों के बीच समानता. इसलिए वर्गीकरण को पर्याप्त अंतरों पर स्थापित किया जाना चाहिए जो एक साथ समूहित व्यक्तियों को समूहों से बाहर छोड़े गए लोगों से अलग करते हैं और इस तरह के विभेदक गुणों को प्राप्त की जाने वाली वस्तु के साथ उचित और तर्कसंगत संबंध होना चाहिए।

23. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आज़म टेक्सटाइल मिल वर्कर्स एसोसिएशन बनाम **नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने सिविल अपील संख्या 6260-61/2021 में 26.10.2021 को पैरा संख्या 2.2, 7.1, 8, 9.3, 9.7में 2002 की संशोधित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के मामले में "समानों के बीच समानता" का सिद्धांत तय किया** औरइस प्रकार निर्णय लिया:-

"2.2कि, आवंटन के बाद, एनटीसी/मिल के स्वामित्व वाली 11 एकड़ भूमि शेष रह गई। ऐसा प्रतीत होता है कि इसके बाद कुडा ने राज्य को 200 वर्ग मीटर के मकान स्थल आवंटित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। मिल के 134 कर्मचारियों ने 17.07.1986 को नोटिस के तामील के बावजूद क्वार्टर खाली करने की मांग के बावजूद अपने-अपने क्वार्टर में रहना जारी रखा। राज्य सरकार वीडियो जी.ओ. संख्या 463 दिनांक 27.06.2007, ने 200 वर्ग मीटर आवंटित करने के कुडा के प्रस्ताव को

स्वीकार कर लिया। याड़र्स ने पुनर्वास और कल्याण उपाय के रूप में, पूर्ववर्ती मिल के 134 पूर्व कर्मचारियों में से प्रत्येक को मुफ्त में प्लॉट विकसित किया। इसके बाद, 318 सेवानिवृत्त श्रमिकों, जिन्होंने अन्य 134 श्रमिकों के साथ स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति भी ली थी, ने उन्हें भी 200 वर्ग मीटर आवंटित करने के लिए अभ्यावेदन दिया। शेष 10.24 गुंठा भूमि में से अन्य 134 श्रमिकों को याई प्लॉट आवंटित किए गए। राजस्व मंडल अधिकारी, वारंगल ने तहसीलदार, वारंगल को एक एकड़ की सीमा तक भूमि के बारे में पूछताछ करने का निर्देश दिया। लक्ष्मीपुरा, वारंगल के वीआरओ ने तहसीलदार को रिपोर्ट सौंपते हुए कहा कि लक्ष्मीपुरा गांव में स्थित 5 एकड़ जमीन और खिला गांव, वारंगल में स्थित 5.24 एकड़ जमीन, वारंगल की कुल 10.24 एकड़ जमीन खाली कब्जे में है और इसलिए, उक्त भूमि वर्कर्स एसोसिएशन के सदस्यों को आवास भूखंड आवंटित करने में सक्षम है, जिनके 318 कर्मचारी हैं, उन्हें आवास भूखंड आवंटित नहीं किए गए हैं। इसके बाद, 200 वर्ग मीटर आवंटित करने के लिए आगे कुछ नहीं किया गया। मिल के शेष 318 पूर्व कर्मचारियों/श्रमिकों, जिन्होंने अन्य 134 श्रमिकों के साथ स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी, जिन्हें 200 वर्ग मीटर आवंटित किए गए थे, को एक-एक विकसित भूखंड निःशुल्क दिए गए। प्रत्येक विकसित भूखंड निःशुल्क है और इसलिए, वर्कर्स एसोसिएशन ने 2007 की रिट याचिका संख्या 26642 के रूप में उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की। एक विस्तृत और तर्कसंगत निर्णय और आदेश द्वारा विद्वान एकलपीठ ने उक्त रिट याचिका को अनुमति दी। और प्रत्यर्थीगण को 200 वर्ग मीटर के मकान स्थल आवंटित करने का निर्देश दिया।

7.1 प्रत्यर्थी संख्या 4 - मिल के 318 पूर्व कर्मचारियों के लिए और उनकी ओर से अपीलार्थी वर्कर्स एसोसिएशन ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और पूर्ववर्ती प्रत्यर्थी संख्या 4 मिल के अन्य 134

कर्मचारियों के बराबर गज भूखंड निःशुल्क। 200 वर्ग मीटर आवंटित करने की प्रार्थना की।

यह पूर्ववर्ती प्रत्यर्थी संख्या 4 के 318 पूर्व कर्मचारियों की ओर से विशिष्ट मामला था कि वे दोनों वर्गों (एक वर्ग सहित) के समान ही पूर्व प्रत्यर्थी संख्या 4 के 134 पूर्व कर्मचारियों के साथ स्थित हैं (318 कर्मचारियों में से और एक अन्य वर्ग जिसमें 134 कर्मचारी हैं)। समान की स्थिति हैं; दोनों वर्गों से संबंधित कर्मचारी पूर्ववर्ती प्रत्यर्थी संख्या 4 मिल के कर्मचारी थे; कि इन सभी ने एक साथ 2002 की संशोधित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली; संशोधित स्वैच्छिक योजना का लाभ देने में सभी समान रूप से थे; सभी को क्वार्टर आवंटित किए गए थे और वे क्वार्टर में रह रहे थे। कर्मचारियों की ओर से यह मामला था कि एकमात्र अंतर यह था कि कानून का पालन करने वाले व्यक्ति के रूप में, उन्होंने क्वार्टर खाली करने के लिए दिनांक 17.07.1986 को नोटिस दिए जाने के बाद क्वार्टर खाली कर दिया था और वे 134 पूर्व कर्मचारी ऐसे थे। जिन्होंने दिनांक 17.07.1986 को नोटिस के बावजूद क्वार्टर खाली नहीं किया और वे अनधिकृत कब्जे में रहे। 318 पूर्व कर्मचारियों की ओर से यह भी मामला था कि जी.ओ. संख्या 463 के अनुसार, उन सभी 134 पूर्व कर्मचारियों को 200 वर्ग मीटर आवंटित किया गया था। पूर्व कर्मचारियों को अनुचित कठिनाई से बचाने और कल्याणकारी उपाय के रूप में विद्वान एकलपीठ ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और प्रत्यर्थीगण को उन सभी 318 पूर्व कर्मचारियों के साथ 134 पूर्व कर्मचारियों के समान व्यवहार करने का निर्देश दिया, जिन्हें 200 वर्ग मीटर आवंटित किया गया था। 318 पूर्व कर्मचारियों को मुफ्त में गज भूखंड देना भेदभावपूर्ण और संविधान के अनुच्छेद 14का उल्लंघन है। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने विद्वान एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय और आदेश को अपास्त कर दिया। इसलिए, वर्तमान अपीलें दायर की गई है।

8. संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, इस न्यायालय के विचारार्थ जो संक्षिप्त प्रश्न रखा गया है, वह यह है कि क्या शेष है प्रत्यर्थी संख्या 4 मिल (तत्कालीन) के 318 पूर्व कर्मचारी अन्य समान स्थिति वाले 134 पूर्व कर्मचारियों की तुलना में समता और समानता का दावा कर सकते हैं। प्रत्यर्थी संख्या 4 मिल (तत्कालीन) और 200 वर्ग मीटर का दावा कर सकता है।

9.3. किसी दिए गए मामले में संविधान का अनुच्छेद 14एक वैध वर्गीकरण की अनुमति दे सकता है। हालाँकि, पालन किए जाने वाले वर्गीकरण को आवश्यक रूप से दो परीक्षणों को पूरा करना होगा। सबसे पहले, भेद करने का तर्क उचित उद्देश्य पर आधारित होना चाहिए और दूसरा, व्यक्तियों के एक समूह को दूसरे से अलग करने के विकल्प का प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों के साथ उचित संबंध होना चाहिए। वर्तमान मामले में 134 कर्मचारियों को 200 वर्ग गज का निःशुल्क आवंटन पूर्व कर्मचारियों को अनुचित कठिनाई से बचाने और एक कल्याणकारी उपाय के रूप में किया गया था। जैसाकि ऊपर देखा गया है, उन 318 पूर्व कर्मचारियों को आवंटन के लाभ से वंचित कर दिया गया है 200 वर्ग गज के प्लॉट मुफ्त में दिए जाते हैं, इसी तरह 134 कर्मचारियों वाले व्यक्तियों को 200 वर्ग गज के प्लॉट मुफ्त में आवंटित किए जाते हैं। पूर्व-कर्मचारियों के एक वर्ग को दूसरे वर्ग के पूर्व-कर्मचारियों के साथ समान रूप से अलग-अलग व्यवहार प्रदान करने का कोई तर्कसंगत औचित्य नहीं है, जिन्हें भूखंड आवंटित किए गए हैं।

9.7अब, जहां तक प्रत्यर्थीगण की ओर से यह निवेदन है कि उनके पास वर्तमान में 200 वर्ग मीटर आवंटित करने के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। शेष 318 पूर्व कर्मचारियों को गज भूखंड दिए गए और उन सभी 318 पूर्व कर्मचारियों ने स्वेच्छा से क्वार्टर खाली कर दिए और वे अपने घरों में बस गए, शुरुआत में यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि केवल इसलिए कि किसी भी कारण से और यहां तक कि एक कानून के रूप में भी

उन्होंने क्वार्टर खाली कर दिया है, कानून का पालन करने वाले व्यक्ति होने के नाते उन्हें नुकसानदेह स्थिति में नहीं डाला जा सकता। यहां तक कि यह भी नहीं माना जा सकता कि जो 318 पूर्व कर्मचारी क्वार्टर खाली कर कहीं और रह गए थे, वे सभी बस गए। बिना किसी तथ्यात्मक आंकड़ों के ऐसा नहीं माना जा सकता. ऐसे कई पूर्व कर्मचारी हो सकते हैं जिन्हें क्वार्टर खाली करने के लिए मजबूर किया गया हो और जो वहां नहीं बसे हों या एक कमरे के घर में रह रहे हों। किसी भी स्थिति में, 200 वर्ग आवंटित करने के लिए. अन्याय से बचने के लिए 134 पूर्व कर्मचारियों को गज भूखंड पूर्व कर्मचारियों के लिए कठिनाई और एक कल्याणकारी उपाय के रूप में और केवल 134 मामले पूर्व कर्मचारियों के पुनर्वास के रूप में और समान रूप से स्थित अन्य पूर्व कर्मचारियों के लिए नहीं, भेदभावपूर्ण और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। जैसाकि ऊपर देखा गया है, इसके विपरीत, 134 कर्मचारियों को इस आधार पर भूखंड आवंटित करना कि वे अनधिकृत कब्जे में थे और इसलिए, मुकदमेबाजी/मुकदमेबाजी की लागत से बचने के लिए उन लोगों को प्रीमियम देना होगा जो अवैध अनधिकृत कब्जे में बने रहे और जो पूर्व कर्मचारी पाए गए उन्हें दंडित करने के लिए कानून का पालन करना होगा और दिनांक 17.07.1986 के नोटिस के अनुसार क्वार्टर खाली कर देना होगा। यहां तक कि पूर्व कर्मचारियों के दो वर्गों के बीच मामले को अलग करने का औचित्य भी उचित नहीं है। यदि शेष 318 पूर्व कर्मचारियों ने क्वार्टर खाली नहीं किया होता और अनाधिकृत कब्जे में बने रहते, भले ही प्रत्यर्थीगण की ओर से मामला स्वीकार कर लिया गया हो, तो बाद में अनाधिकृत कब्जे में रहने वालों को 200 वर्ग मीटर जगह आवंटित की जा सकती थी। अतः 200 वर्ग मीटर भूमि का आवंटन अस्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं है। 318 पूर्व कर्मचारियों में से प्रत्येक को निःशुल्क भूखंड दिए गए, जो अन्य 134 पूर्व कर्मचारियों को आवंटित किए गए, जो अन्यथा समान स्थिति में थे।

प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 के लिए अतिरिक्त भूमि के आवंटन और/या प्रत्यर्थी संख्या 4 मिल की शेष भूमि से भूखंड आवंटित करने के लिए प्रत्यर्थी संख्या 1 और/या राज्य सरकार से संपर्क करना खुला होगा। जैसा भी मामला हो, रिक्त हो और केंद्र सरकार/एनटीसी के पास उपलब्ध हो।"

24. वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, प्रत्यर्थीगण के एक ही वर्ग को समान रूप से अलग-अलग व्यवस्था प्रदान करने का कोई तर्कसंगत औचित्य नहीं है। एक अन्य वर्ग अर्थात छोटू राम और अन्य के साथ, जिन्हें लाला राम (सुप्रा.) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार 15% विकसित भूमि आवंटित की गई है।

25. जेडीए के इस तर्क में कोई दम नहीं है कि जमीन का कुछ हिस्सा किसी रणवीर सिंह को बेच दिया गया था क्योंकि न तो बिक्री से संबंधित कोई दस्तावेज रिकॉर्ड पर प्रस्तुत किया गया है और न ही तथाकथित रणवीर सिंह ने अधिग्रहीत भूमि के बदले विकसित भूमि के किसी मुआवजे के लिए अधिकारियों से संपर्क किया है।

26. अब प्रश्न यह उठता है कि 'क्या प्रत्यर्थीगण द्वारा 15% विकसित भूमि प्राप्त करने का दावा समयबाधित है और क्या इसमें कोई देरी और कमी है?

27. 15% विकसित भूमि प्राप्त करने के लिए प्रत्यर्थीगण द्वारा दावा प्रस्तुत करने में कोई देरी नहीं हुई है। परिपत्र दिनांक 13.12.2001 के तुरंत बाद, प्रत्यर्थीगण ने 15.1.2002 को अर्थात अधिकारियों द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर छोटू राम पुत्र सुनाराम के साथ अपने विकल्प प्रस्तुत किए और 25.10.2002 को उन्होंने एक पारिवारिक समझौता पत्र निष्पादित किया और सभी की ओर से मुकदमा करने के लिए छोटू राम को अधिकृत किया और उसके बाद छोटू राम द्वारा अधिकारियों के समक्ष कार्यवाही शुरू की गई और माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष इसे अंतिम रूप दिया गया। छोटू राम द्वारा 15% विकसित भूमि प्राप्त करने का मुद्दा आम था। जब छोटू राम को 15% विकसित भूमि मिल गई और प्रत्यर्थीगण को वंचित कर दिया गया, तो उनके पास अपीलीय न्यायाधिकरण, जेडीए का दरवाजा खटखटाने के अलावा

कोई विकल्प नहीं था, जिसने उनकी अपील को उचित रूप से स्वीकार किया और जेडीए को शर्तों के अनुसार उन्हें विद्याधर नगर, गोकुल नगर में एक या अधिक उपलब्ध भूखंडों में दिनांक 13.12.2001 की नीति/परिपत्र के अनुसार,ट्रक टर्मिनल नगर एवं वैशाली नगर योजना में 15% विकसित भूमि आवंटित करने का निर्देश दिया।

28. ऐसे मामलों में समयबाधिता और देरी के समान मुद्दे की जांच **बलजीत सिंह (सुप्रा.)** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **पैरा संख्या 7 में** की गई है:-

"7. इस मामले की दूसरे पहलू से भी जांच की जरूरत है। लापरवाही और देरी। न्यायशास्त्र का यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि जिस अधिकार का लंबे समय तक प्रयोग नहीं किया गया वह अस्तित्वहीन है। यहां तक कि जब कुछ कार्यवाहियों से संबंधित किसी क़ानून द्वारा कोई सीमा अवधि निर्धारित नहीं की जाती है, तो ऐसे मामलों में, अदालतों ने लापरवाही और देरी के सिद्धांत के साथ-साथ स्वीकृति के सिद्धांत को गढ़ा है और उन वादियों को गैर-अनुकूलित किया है जो अनुचित देरी के बाद कार्रवाई करने के लिए बिना किसी उचित स्पष्टीकरण के देर से अदालत में आए थे। उन मामलों में, जहां परिसीमा अवधि निर्धारित है जिसके भीतर कार्रवाई को अदालत के समक्ष लाया जाना है, यदि कार्रवाई उस निर्धारित अवधि के भीतर नहीं लाई जाती है, तो पीड़ित पक्ष उपचार खो देता है और परिसीमा अवधि के बाद अपने विधिक अधिकार को लागू नहीं कर सकता है। हालाँकि, समयबाधिता की माफ़ी की प्रार्थना के अधीन है और यदि सीमा की निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद कार्रवाई करने के लिए उचित स्पष्टीकरण है और पर्याप्त कारण दिखाया गया है, तो अदालत देरी को माफ़ कर सकती है। इसलिए, ऐसे मामले में जहां परिसीमा की अवधि निर्धारित है और कार्रवाई को परिसीमा की अवधि के भीतर नहीं लाया जाता है और बाद में देरी की माफी के लिए प्रार्थना के साथ परिसीमा अवधि के बाद कार्यवाही शुरू की जाती है, उस स्थिति में, आवेदक को पर्याप्त कारण बताना होगा और उचित स्पष्टीकरण के साथ

देरी के कारण को उचित ठहराना होगा। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक मामले में पर्याप्त कारण न बताए जाने और देरी की उचित व्याख्या न किए जाने के बावजूद अदालत देरी को माफ कर सकती है। देरी को माफ करने का मामला बनाने के लिए, आवेदक को पर्याप्त कारण/कारण बताना होगा जिसने उसे इसमें सीमा अवधि के भीतर कार्यवाही शुरू करने से रोका। अन्यथा उन पर घोर लापरवाही का आरोप लगेगा। यदि पीड़ित पक्ष बिना किसी पर्याप्त कारण के सीमा अवधि के भीतर कार्यवाही शुरू नहीं करता है, तो उसे अस्पष्ट देरी और देरी के आधार पर राहत से वंचित किया जा सकता है और यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति ने अपना अधिकार छोड़ दिया है या आदेश से सहमत है। ये सिद्धांत ठोस सार्वजनिक नीति से संबंधित सिद्धांतों पर आधारित हैं कि यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करता है तो ऐसा अधिकार अस्तित्वहीन है।

29. प्रत्यर्थीगण और उक्त छोटू राम का मामला समान था क्योंकि उन सभी ने 15% विकसित भूमि प्राप्त करने के लिए सामान्य विकल्प प्रस्तुत किए थे। तब अपीलीय न्यायाधिकरण, जेडीए के पास अलग रुख अपनाने का कोई अवसर उपलब्ध नहीं था अर्थात छोटू राम को विद्याधर नगर में 15% विकसित भूमि आवंटित करना और प्रत्यर्थीगण को समान भूमि आवंटित नहीं करना। समता के आधार पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने **निंगप्पा थोटप्पा अंगड़ी बनाम विशेष भूमि अर्जन अधिकारी सिविल अपील क्रमांक 9415/2019 के पैरा संख्या 10 में निम्नलिखित सिद्धांत का निपटारा निम्नानुसार किया है**:-

"10. यह निर्विवाद है कि इस न्यायालय ने 11 नवंबर, 2016 के निर्णय के तहत सी.ए. क्रमांक 2927/2010 (निंगप्पा थोटप्पा अंगड़ी बनाम विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी एवं अन्य) ने उच्च न्यायालय के आदेश को अपास्त कर दिया है और संदर्भ न्यायालय द्वारा दिए गए मुआवजे को बहाल कर दिया है। उद्धृत मामले में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय लिया:

"हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को कुछ हद तक सुना है और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। हमारी सुविचारित राय है कि आक्षेपित निर्णय और आदेश उच्च न्यायालय के निर्णय को अपास्त किया जाना चाहिए और संदर्भ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को बहाल किया जाना चाहिए। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि, इस न्यायालय ने उसी आदेश के खिलाफ निर्देशित एक समान अपील में आक्षेपित निर्णय को अपास्त कर दिया है और संदर्भ न्यायालय द्वारा दी गई वृद्धि को बहाल कर दिया है। हमें वर्तमान मामले में अलग दृष्टिकोण अपनाने का कोई कारण नहीं दिखता। तदनुसार, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और जहां तक अपीलार्थी से संबंधित है, आक्षेपित निर्णय को अपास्त करते हुए, संदर्भ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को बहाल करते हैं। हालाँकि, पार्टियाँ अपनी लागत स्वयं वहन करेंगी।"

30. माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णयों के क्रम में यह माना है कि जब व्यक्तियों के एक विशेष समूह को लाभ दिया जाता है, तो अन्य सभी समान स्थिति वाले व्यक्तियों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। केवल इसलिए कि उन्होंने पहले अदालत का रुख नहीं किया, उनके साथ बाकियों से अलग व्यवहार नहीं किया जाएगा।

31. **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अरविंद कुमार श्रीवास्तव, सिविल अपील संख्या 9849/2014, के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय** ने पैरा 23 में निम्नानुसार व्यवस्था दी है:-

"23.....अपीलार्थीगण और प्रत्यर्थीगण दोनों द्वारा उद्धृत उपरोक्त निर्णयों को पढ़ने से जो विधिक सिद्धांत सामने आते हैं, उन्हें निम्नानुसार संक्षेपित किया जा सकता है:

2. (1) सामान्य नियम यह है कि जब कर्मचारियों के एक विशेष समूह को न्यायालय द्वारा राहत दी जाती है, तो उस लाभ को बढ़ाकर

अन्य सभी समान स्थिति वाले व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। ऐसा न करना भेदभाव के समान होगा और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। इस सिद्धांत की आवश्यकता है इसे सेवा मामलों में अधिक सशक्त रूप से लागू किया जाता है क्योंकि समय-समय पर इस न्यायालय द्वारा विकसित सेवा न्यायशास्त्र यह मानता है कि सभी समान स्थिति वाले व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। इसलिए, सामान्य नियम यह होगा कि केवल इसलिए कि समान स्थिति वाले अन्य व्यक्ति पहले अदालत में नहीं आए, उनके साथ अलग व्यवहार नहीं किया जाएगा।

(2) हालाँकि, यह सिद्धांत देरी और देरी के साथ-साथ स्वीकृति के रूप में अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त अपवादों के अधीन है। वे व्यक्ति जिन्होंने अपने मामलों में गलत कार्रवाई को चुनौती नहीं दी और उसे स्वीकार कर लिया और लंबी देरी के बाद केवल इस कारण से जागे कि उनके समकक्ष जिन्होंने समय से पहले अदालत का दरवाजा खटखटाया था, वे अपने प्रयासों में सफल हुए, तो ऐसे कर्मचारी यह दावा नहीं कर सकते हैं समान स्थिति वाले व्यक्तियों के मामले में दिए गए निर्णय का लाभ उन तक पहुंचाया जाए। उन्हें बाड़-बैठक और लापरवाही बरतने वाला माना जाएगा और देरी, और/या स्वीकृति, उनके दावे को अपास्त करने के लिए एक वैध आधार होगा।

(3) हालाँकि, यह अपवाद उन मामलों में लागू नहीं हो सकता है जहाँ न्यायालय द्वारा सुनाया गया निर्णय सभी समान स्थिति वाले व्यक्तियों को लाभ देने के इरादे से दिया गया निर्णय था, चाहे उन्होंने न्यायालय से संपर्क किया हो या नहीं। इस तरह की घोषणा के साथ अधिकारियों पर इसका लाभ समान रूप से स्थित सभी व्यक्तियों तक पहुंचाने का दायित्व आ जाता है। ऐसी स्थिति तब उत्पन्न हो सकती है जब निर्णय का विषय नीतिगत मामलों से जुड़ा हो, जैसे नियमितीकरण की योजना आदि (देखें के.सी. शर्मा और अन्य) बनाम भारत संघ (सुप्रा.)। दूसरी

ओर, यदि न्यायालय का निर्णय व्यक्तिगत रूप से यह मानता है कि उक्त निर्णय का लाभ न्यायालय के समक्ष पक्षकारों को मिलेगा और ऐसा इरादा निर्णय में स्पष्ट रूप से बताया गया है या इसे निहितार्थ से पता लगाया जा सकता है और निर्णय की भाषा, जो लोग उक्त निर्णय का लाभ पाना चाहते हैं, उन्हें इस बात से संतुष्ट होना होगा कि उनकी याचिका में देरी या सहमति नहीं है।"

32. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, प्रत्यर्थीगण को 'बाड़-बैठने वाला' नहीं माना जा सकता क्योंकि उन्होंने नीति/परिपत्र दिनांक 13.12.2015 के अनुसरण में अधिकारियों द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर 15% विकसित भूमि प्राप्त करने के लिए अपने विकल्प प्रस्तुत किए थेऔर उन्होंने उक्त छोटू राम को समझौते को निष्पादित करके प्रश्नगत भूमि के संबंध में अपना पक्ष रखने के लिए अधिकृत किया। प्रत्यर्थी छोटू राम द्वारा शुरू की गई कार्यवाही के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब अधिकारियों ने वांछित योजना में छोटू राम को 15% विकसित भूमि आवंटित की और जब प्रत्यर्थीगण को वंचित कर दिया गया, तो उनके पास जेडीए न्यायाधिकरण में जाने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था, जिन्होंने उनकी समस्या सुनी और उनकी शिकायत का निवारण किया और उनके साथ समान व्यवहार किया जो छोटू राम को दिया गया था।

33. अपीलार्थी जेडीए द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका को अपास्त करते हुए विद्वान एकलपीठ द्वारा इन सभी पहलुओं पर विचार किया गया।

34. रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री को देखते हुए और पूर्वगामी पैराग्राफ में संदर्भित निर्णयों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को लागू करने के बाद, हमारी राय है कि अपीलार्थी द्वारा सामने रखी गई दलीलों में कोई दम नहीं है। इस प्रकार, विद्वान एकलपीठ द्वारा पारित दिनांक 28.09.2020 का आक्षेपित निर्णय इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की गारंटी नहीं देता है।

35. परिणामस्वरूप, यह विशेष अपील अपास्त की जाती है।

36. स्थगन आवेदन और सभी लंबित आवेदन, यदि कोई हों, भी अपास्त किए जाते हैं।

37. लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

(पंकज भंडारी), न्यायमूर्ति **(अनूप कुमार ढांड), न्यायमूर्ति**

Sharma NK/17

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।